-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा 06 घण्टे के भीतर आटो रिक्शा की स्टपनी मय टायर चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की स्टपनी व टायर बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.12.2025 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा 06 घण्टें के भीतर आटो रिक्शा की स्टपनी मय टायर चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम भवई के रहने वाले संजय द्वारा दिनांक 09.12.2025 को नरैनी पर सूचना दी कि दिनांक 08.11.2025 रात्रि को घर के सामने से रामहित नाम के व्यक्ति द्वारा आटो की स्टपनी मय टायर चोरी कर लिया गया था। काफी खोजबीन करने के पश्चात चोरी का सामान न मिलने पर आज लिखित सूचना देने आया हूं। सूचना पर थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2025 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को भवई मोड़ से गिरफ्तार किया गया, मौके से आटो रिक्शा की स्टपनी मय टायर बरामद हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 आटो की स्टपनी मय टायर (चोरी का)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामहित पुत्र चतुरेश निवासी भवई थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 389/25 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कल्बेअब्बाश
2. हे0कां0 नागेश कुमार